

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भावरा, जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी :- श्री भागीरथ राम आर.ए.एस.

मि०न० - 198 / 2025

अनमान :-

1. मनीष उम्र 13 वर्ष
  2. लवप्रीत उम्र 11 वर्ष
- पिशाराम राकेश कुमार हर दोनों नाबालिगान  
जरिए वली कुवरी माता कौशल्या पत्नी राकेश जाति जाट निवासी  
मुन्सरी हाल निवासी जोगीवाला तहसील भावरा जिला हनुमानगढ़  
:-वादीगण

बनाम

1. राकेश पुत्र रामसिंह जाति जाट निवासी मुन्सरी तहसील भावरा जिला हनुमानगढ़।
  2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) भावरा तहसील भावरा जिला हनुमानगढ़
- :-प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ भागीरथ राम उपखण्ड अधिकारी भावरा के समक्ष वकील  
वादीगण श्री सुनील बैनीवाल व वकील प्रतिवादी श्री पवन सिहाय की उपस्थिति में निर्णय हेतु  
प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुलोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि  
रोही मौजा मुन्सरी बारानी के खाता संख्या 144/148 के खसरा सं० 100 की 2.5290 हैक्टर,  
खसरा सं० 130 की 3.3890 हैक्टर, खसरा सं० 177 की 1.2650 हैक्टर, खसरा सं० 339/4 की  
2.5290 हैक्टर, खसरा सं० 470/130 की 2.1120 हैक्टर, खसरा सं० 50/1 की 0.5060 हैक्टर,  
खसरा सं० 79/1 की 3.0350 हैक्टर बारानी कुल खसरा 7 की 15.3650 हैक्टर बारानी कृषि  
भूमि में वादीगण के पिता प्रतिवादी सं० 1 राकेश के नाम 1/25 हिस्सा कृषि भूमि में वादी संख्या  
1 मनीष एवं वादी संख्या 2 लवप्रीत एवं प्रतिवादी संख्या 1 राकेश को बहिस्सा बराबर के अनुसार  
आतेदार काश्तकार घोषित किये जाते है यदि कृषि भूमि रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त  
उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा  
अभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा  
जारी की गई।



(भागीरथ राम)

R.A.S  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
भावरा, जिला हनुमानगढ़

